

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | 1. मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर। | बनाम | 1. प्रभु पुत्र कल्याण
2. कैलाश पुत्र कल्याण
3. लक्ष्मण पुत्र कल्याण
4. सीताराम पुत्र कल्याण
5. शंकर पुत्र कल्याण
समस्त जाति कुम्हार निवासी जटवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी
7. उपपंजीयक बस्सी। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 16/16

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में पेश हुई। वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा ने की है। केम्प कोर्ट जटवाडा में मौके पर ही तहसीलदार बस्सी को वादी द्वारा कय शुदा भूमि के खसरा नम्बरों के कुर्रजात बनाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बस्सी से कुर्रजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। पक्षकारान को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रजात व नक्शे पर सुना गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त कुर्रजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुर्रजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व उपस्थित मौतबिरान से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने एवं प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रजात पर सहमति जाहिर करने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री क्रिया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा न0 426/2, 426/4, 426/5, 639/1, 639/2, 702/2 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से खसरा नं0 1685/702/2 रकबा 9 बिस्वा भूमि खातेदार मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं0 702/2 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा खातेदार प्रभु, सीताराम पिता कल्याण हि. 1/2 बिना रहन कैलाश पुत्र कल्याण हि. 1/4 राहिन बी.ओ.आई. जटवाडा, लक्ष्मण पुत्र कल्याण हि. 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बैनाडा कौम कुम्हार सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में मजमे आम में सुनाया गया।

Bndh
14.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर। | बनाम | 1 प्रभु पुत्र कल्याण
2 कैलाश पुत्र कल्याण
3 लक्ष्मण पुत्र कल्याण
4 सीताराम पुत्र कल्याण
5 शंकर पुत्र कल्याण
समस्त जाति कुम्हार निवासी जटवाडा
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी
7 उपपंजीयक बस्सी। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 16/16

निर्णय दिनांक 14.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा न0 426/2, 426/4, 426/5, 639/1, 639/2, 702/2 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से खसरा नं0 1685/702/2 रकबा 9 बिस्वा भूमि खातेदार मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं0 702/2 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा खातेदार प्रभु, सीताराम पिता कल्याण हि. 1/2 बिना रहन कैलाश पुत्र कल्याण हि. 1/4 राहिन बी.ओ.आई. जटवाडा, लक्ष्मण पुत्र कल्याण हि. 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बैनाडा कौम कुम्हार सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावे।निजी.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

दस्तावेज मेरे दस्तावेज व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.18 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तावेज.....

ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		

Contd--2

सबूत
महन्ता
वकील
खर्चा
गवाहन
फीस
कमिश्नर
बाबत
इजराय
हुक्मनामा
मुतफरिक
मीजान

सबूत
महन्ता
वकील
खर्चा
गवाहन
फीस
कमिश्नर
बाबत
इजराय
हुक्मनामा
मुतफरिक
मीजान

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Smd
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी बस्सी